प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमाशंकर कुशवाहा पुत्र मन्नन कुशवाहा, निवासी जनपद-देवरिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 11.02.2021, दिनांक 22.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रमाशंकर कुशवाहा पुत्र मन्नन कुशवाहा, ग्राम-भैंसही, थाना-बनकटा, जनपद-देवरिया का निवासी है। मोहन गौड़ की पत्नी द्वारा दोस्तों के साथ शराब पीकर पैसे उड़ाने का विरोध किए जाने के कारण दिनांक 07.02.2010 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्रीमती इन्दू देवी व उसके पुत्र एवं पुत्री की जहर देकर हत्या कर तीनों के शव को रेलवे लाइन पर फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-219/2010 में भा0द0वि0 की धारा-147, 328/149, 302/149, 201, 118/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष-07, देवरिया के आदेश दिनांक 27.08.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2020 तक 07 वर्ष 11 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष 02 माह 09 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, देवरिया द्वारा अपनी आख्या बंदी की समयपूर्व रिहाई की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रमाशंकर कुशवाहा (बन्दी संख्या-141/13) पुत्र मन्नन कुशवाहा, निवासी जनपद-देवरिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-161/2021/844(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in